रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 9, 2018/चैत्र 19, 1940
No. 223] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 9, 2018/CHAITRA 19, 1940

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 348(अ).—केंद्रीय सरकार, कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 21 की उप-धारा (4) और धारा 21 ख की उप-धारा (2) और उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 38 क की उप-धारा (2) के खंड (ग) और खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, कम्पनी सचिव (वृतिक और अन्य अवचार के अन्वेषण और मामलो के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी सचिव (वृतिक और अन्य अवचार के अन्वेषण और मामलो के संचालन की प्रक्रिया) नियम, संशोधन नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवर्त होंगे ।

2. कम्पनी सचिव (वृतिक और अन्य अवचार के अन्वेषण और मामलो के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007, के नियम 17 में, उप-नियम (1) में, "पांच हजार रुपए" अक्षर और आंकड़े के स्थान पर, "दस हजार रुपए" रखा जाएगा।

[फा. सं. 1/12/2007-आई.जी.सी /पीआई]

अनुराग अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 111(अ), तारीख 27 फरवरी, 2007 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 314(अ), तारीख 23.04.2015 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2018

G.S.R. 348 (E).—In exercise of the powers conferred by clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 29A read with sub-section (4) of section 21 and sub-sections (2) and (4) of section 21B of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, namely:-

1. (1) These rules may be called the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Amendment Rules, 2018

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Chartered Accountants (Procedure of Investigation of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, in rule 17, in sub-rule (1), for the words "five thousand rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted.

[F.No. 1/12/2007-IGC/PI]

ANURAG AGARWAL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 112(E), dated the 27th February, 2007 and subsequently amended *vide* notification numbers G.S.R. 226(E), dated the 22nd March, 2011 and G.S.R. 141(E), dated the 4th March, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. **349(अ)**.—केंद्रीय सरकार, चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 के 38) की धारा 21 की उप-धारा (4) और धारा 21 ख की उप-धारा (2) और उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 29 क की उप-धारा (2) के खंड (ग) और खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड एकाउंटेंट (वृतिक और अन्य अवचार के अन्वेषण और मामलो के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड एकाउंटेंट (वृतिक और अन्य अवचार के अन्वेषण और मामलो के संचालन की प्रक्रिया) नियम, संशोधन नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवर्त होंगे ।

2. चार्टर्ड एकाउंटेंट (वृतिक और अन्य अवचार के अन्वेषण और मामलो के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007, के नियम 17 में, उप-नियम (1) में, "पांच हजार रुपए" अक्षर और आंकड़े के स्थान पर, "दस हजार रुपए" रखा जाएगा।

[फा. सं. 1/12/2007- आई.जी.सी./पीआई]

अनुराग अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3,उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 112(अ), तारीख 27 फरवरी, 2007 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना संख्याओं सा.का.नि. 226(अ), तारीख 22 मार्च, 2011 और सा.का.नि. 141(अ), तारीख 04.03.2014 द्वारा किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 9 April, 2018

G.S.R. 349(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 38A read with sub-section (4) of section 21 and sub-sections (2) and (4) of section 21B of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost and Works Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, namely:-

1. (1) These rules may be called the Cost and Works Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost and Works Accountants (Procedure of Investigation of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, in rule 17, in sub-rule (1), for the letters and figures "Rs.1000", the words "ten thousand rupees" shall be substituted.

[F.No. 1/12/2007-IGC/PI]

ANURAG AGARWAL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 113(E), dated the 27th February, 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 350(अ).—केंद्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 के 38) की धारा 21 की उप-धारा (4) और धारा 21 ख की उप-धारा (2) और उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 38 क की उप-धारा (2) के खंड (ग) और खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, लागत और संकर्म लेखापाल (वृतिक और अन्य अवचार के अन्वेषण और मामलो के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत और संकर्म लेखापाल (वृतिक और अन्य अवचार के अन्वेषण और मामलो के संचालन की प्रक्रिया) नियम, संशोधन नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवर्त होंगे ।

2. लागत और संकर्म लेखापाल (वृतिक और अन्य अवचार के अन्वेषण और मामलो के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007,के नियम 17 में, उप-नियम (1) में, " एक हजार रुपए" अक्षर और आंकड़े के स्थान पर, "दस हजार रुपए" रखा जाएगा।

[फा. सं. 1/12/2007- आई.जी.सी. /पीआई]

अनुराग अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 113(अ), तारीख 27 फरवरी, 2007 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2018

G.S.R. 350(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 38A read with sub-section (4) of section 21 and sub-sections (2) and (4) of section 21B of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Company Secretaries (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, namely:-

1. (1) These rules may be called the Company Secretaries (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Company Secretaries (Procedure of Investigation of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, in rule 17, in sub-rule (1), for the letters and figures "Rs.5000", the words "ten thousand rupees" shall be substituted.

[F. No. 1/12/2007-IGC/PI]

ANURAG AGARWAL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 111(E), dated the 27th February, 2007 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 314(E), dated the 23rd April, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2018.04.12 19:02:39 +05'30'